एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
NHPC Limited
(A Govt. of India Enterprise)

एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की नियम और शर्तें

स्वतंत्र (पार्ट टाइम गैर सरकारी) निदेशक एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं। कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अगली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा पुष्टि और (i) कंपनी अधिनियम 2013, सहित लागू कानूनों (ii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम,2015 और (iii) कंपनी की एसोसिएशन के लेख (के रूप में समय समय पर संशोधित) के मौजूदा प्रावधानों के अधीन हैं और उनकी नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो के लिए है।

स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी के "बोर्डों के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधकीय कर्मियों के लिए व्यापार आचरण और आचार संहिता", "एनएचपीसी लिमिटेड की प्रतिभूतियों में अंदरूनी सूत्रों द्वारा व्यापार विनियमित करने, मॉनिटर और रिपोर्ट के लिए आचार संहिता" और नीतियाँ व प्रक्रियाएँ का अनुपालन करना आवश्यक है जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार तय किए गए हैं।

स्वतंत्र निदेशक, बोर्ड और इसकी समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए, समय समय पर बोर्ड द्वारा बनाए गए परिवर्तन के अधीन, बैठक शुल्क प्राप्त करने के हकदार हैं। वर्तमान में, बैठक शुल्क रु. 40,000/- प्रति निदेशक मंडल की बैठक और रु. 30,000/- प्रति बोर्ड स्तरीय समिति या बोर्ड द्वारा गठित किसी अन्य समिति की बैठक है। स्वतंत्र निदेशक किसी भी लाभ से संबंधित कमीशन या शेयर विकल्प के लिए पात्र नहीं हैं।

*****